अनुसूची 14 — फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

23
4.10.2023

न्यायालय उपायुक्त, रॉंची

एस० ए० आर० अपील वाद सं० 16 आर० 15/2021—22

लखीदास पातर मुण्डा उर्फ लखीनदास पातर, पिता—बुधराम पातर मुण्डा, निवासी— शत्रुघनडीह, थाना—सोनाहातु जिला—रॉंची
.... अपीलकर्त्ता

बनाम

रोहिना महतो पिता स्व० लक्ष्मण महतो निवासी ग्राम—शत्रुघनडीह, थाना सोनाहातु, जिला रॉंची .... उत्तरवादी

आदेश

प्रस्तुत अपील वाद छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 215 के अन्तर्गत अपीलकर्त्ता ने विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉंची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं० 20/2018—19 मे दिनांक 23.03.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया है, जिसके अन्तर्गत विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉंची ने अपीलकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादी के खिलाफ छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 71ए० के तहत मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉंची के खाता सं० 161, प्लॉट सं० 361 रकबा 80 डी० भूमि की वापसी हेतु दायर आवेदन को कालबाधित करार देते हुए खारिज कर दिया गया है।

विगत तिथि को बार—बार पुकार करवाने के बावजूद अपीलकर्त्ता की ओर से इस अपील वाद मे अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई उपस्थित नही हुआ। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्त्ता विगत कई तिथियों से इस अपील वाद मे उपस्थित नही हो रहे है। पुनः आज भी पुकार पर अनुपस्थित पाये गये। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हे अब इस अपील वाद के निष्पादन हेतु कोई अभिरूचि नही रह गया है। अतः प्रस्तुत अपील वाद मे उत्तरवादी को सुनने के उपरान्त अंतिम आदेश हेतु निर्धारित किया गया।

अपीलकर्त्ता के अनुसार—मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉंची के खाता सं० 161, प्लॉट सं० 361 रकबा 80 डी०, भूमि आर० एस० खतियान मे मोसोमात साधु देवी पति सोहन पातर के

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	नाम से कायमी दर्ज है। उत्तरवादी के द्वारा आवेदित भूमि को छल प्रपंच कर अवैध रूप से दखल कब्जा किया गया है। उत्तरवादी का दावा है कि वे प्रश्नगत भूमि को वर्ष 1943 मे निष्पादित निबंधित डीड द्वारा खतियानी रैयत मोसोमात साधु देवी के पुत्री मोसोमात गुरू पति मनबोध पातर से प्राप्त किया है, परन्तु प्रश्नगत भूमि मुण्डारी खुँटकट्टी है, जिसके भू धारक बेनी माधव सिंह मुण्डा है। मोसोमात साधु देवी के पुत्र नही होने के कारण उक्त भूमि उनके नजदीकी सहगोत्र अर्थात अपीलकर्त्ता मे निहित हो गई। अपीलकर्त्ता अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा उनकी भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत्त गैर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को हस्तांतरण नही किया जा सकता है, इसलिए उपरोक्त कथित हस्तांतरण अवैध है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत बाधित है तथा उत्तरवादी के द्वारा आवेदित भूमि को छल प्रपंच कर अवैध रूप से दखल कब्जा किया गया है। अपीलकर्त्ता पातर मुण्डा है, जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन आदेश 2002 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य के तौर पर सूचिबद्ध है, परन्तु उसके पूर्व मे माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम् न्यायालय के द्वारा पारित विभिन्न न्यायोदशों मे पातर को अनुसूचित जनजाति का सदस्य माना गया है। उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मौजा–तेलवाडीह, थाना–सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 161 रिविजनल सर्वे खतियान में मोसोमात साधु पति सोहन पातर के नाम से कायमी दर्ज है। उपरोक्त खतियानी रैयत मोसोमात साधु के पुत्री मोसमात गुरू पति मनबोध पातर ने निबंधित पट्टा दिनांक 29.04.1943 के द्वारा मौजा तेलवाडीह, थाना सोनाहातु, थाना सं० 29, जिला रॉची के खाता सं० 161, प्लॉट सं० 361 रकबा 80 डी० भूमि को चैता महतो को हस्तांतरित कर दिया। उक्त चैता महतो अपने पीछे एक मात्र पुत्र लक्ष्मण महतो को छोड़ गये, जो अपने पीछे दो पुत्र बुधना महतो एवं रोहिना महतो (उत्तरवादी) को छोड कर स्वर्गवास हो गये। उत्तरवादी के पूर्वज	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

देश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 3 :-	
	उपरोक्त भूमि को निबंधित पट्टा के माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात उसपर दखलकार हुए तथा उनके मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि उत्तरवादी एवं उनके भाई के दखल कब्जे मे चली आ रही है। अपीलकर्त्ता के द्वारा भूमि बिकी के 80 वर्ष के पश्चात् विद्वान निम्न न्यायालय के समक्ष भू वापसी का वाद दायर किया है, जो कालबाधित है। सन् 1932 ई० के रिविजनल सर्वे खतियान में खाता सं० 49 मे खतियानी रैयत की जाति "पातर" दर्ज़ है जो वर्ष प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण के समय अनुसूचित जनजाति के तौर पर सूचिबद्ध नही था। पातर मुण्डा को बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संशोधन आदेश 2002 के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य के तौर पर सूचिबद्ध किया गया है। 2002 (3) JCR 25 (Jhr) (LANKESHWAR PATAR VERSUS FEKU MAHTO & ORS) में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है कि Chotanagpur Tenancy Act, 1908, Section 71A – Restoration of land – On ground that sale deed was obtained fraudulently – Transfer made by father of the appellant – Not in contravention of the Act – Transfer made long before the Supreme Court declared Patar community as sub-caste of Munda – Respondent in continuous possession with absolute right, title and interest for more than 30 years – Rejection of restoration application moved in 1971 – Present application on ground that appellant was member of scheduled tribe not at all maintainable उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि प्रश्नगत भूमि को खतियानी रैयत एवं उनके वंशजो के द्वारा क्रमशः वर्ष 1968 एवं 1969 ई० मे निष्पादित निबंधित पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित किया गया है, जो पातर को मुण्डा जनजाति के उप–सदस्य के तौर पर मान्यता प्रदान करने के पूर्व का है। इस संबंध मे 2002 (3) JCR 25 (Jhr) (LANKESHWAR PATAR VERSUS FEKU MAHTO & ORS) मे माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायादेश मे आयोजित किया गया है कि Transfer made by father of the appellant– Not in contravention of the Act–Transfer made long before the Supreme Court declared Patar community as sub-caste of Munda उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि उत्तरवादी के पक्ष में निष्पादित विक्रय विलेख छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम से बाधित नही	

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3
	-: 4 :-	
	है तथा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं० 20/2018–19 मे दिनांक 23.03.2021 को पारित आदेश में हस्ताक्षेप करने का कोई आधार नही बनता है। अतः यह अपील वाद अस्वीकृत किया जाता है तथा विद्वान भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची के द्वारा एस०ए०आर० वाद सं० 20/2018–19 मे दिनांक 23.03.2021 को पारित आदेश को बहाल रखा जाता है। इस आदेश की प्रति भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे। उपायुक्त रॉची लेखपित एवं संशोधित उपायुक्त रॉची	

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 02:09:38 -08:00
Location: 192.168.1.4